[1]CHAPTER – XVII

INSPECTION, SEARCH AND SEIZURE

Rule 139 : Inspection, search and seizure

(1) Where the proper officer not below the rank of a Joint Commissioner has reasons to believe that a place of business or any other place is to be visited for the purposes of inspection or search or, as the case may be, seizure in accordance with the provisions of section 67, he shall issue an authorisation in **FORM GST INS-01** authorising any other officer subordinate to him to conduct the inspection or search or, as the case may be, seizure of goods, documents, books or things liable to confiscation.

(2) Where any goods, documents, books or things are liable for seizure under sub-section (2) of section 67, the proper officer or an authorised officer shall make an order of seizure in **FORM GST INS-02**.

(3) The proper officer or an authorised officer may entrust upon the the owner or the custodian of goods, from whose custody such goods or things are seized, the custody of such goods or things for safe upkeep and the said person shall not remove, part with, or otherwise deal with the goods or things except with the previous permission of such officer.

(4) Where it is not practicable to seize any such goods, the proper officer or the authorised officer may serve on the owner or the custodian of the goods, an order of prohibition in **FORM GST INS-03** that he shall not remove, part with, or otherwise deal with the goods except with the previous permission of such officer.

(5) The officer seizing the goods, documents, books or things shall prepare an inventory of such goods or documents or books or things containing, *inter alia*, description, quantity or unit, make, mark or model, where applicable, and get it signed by the person from whom such goods or documents or books or things are seized.

---

1 Chapter XVII to XIX r/w Rule 139 to 162 inserted by Noti. No. 15/2017–Central Tax, dt. 01-07-2017 w.e.f. 01-07-2017.

[1]अध्याय 17
निरीक्षण, तलाशी और अभिग्रहण

नियम 139 : निरीक्षण, तलाशी और अभिग्रहण

(1) जहां किसी उचित अधिकारी, जो संयुक्त आयुक्त की पंक्ति से नीचे का न हो, के पास यह विश्वास करने का कारण है कि धारा 67 के उपबंधों के अनुसार, यथास्थिति, निरीक्षण या तलाशी या अभिग्रहण के प्रयोजनों के लिए कारबार के स्थान या किसी अन्य स्थान का दौरा किया जाना हैं, वहां वह अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को, यथास्थिति, निरीक्षण या तलाशी या अभिग्रहण किए जाने योग्य माल, दस्तावेजों, पुस्तकों या वस्तुओं का अभिग्रहण करने के लिए **प्ररूप जीएसटी आईएनएस–01** प्राधिकृत करते हुए एक प्राधिकार पत्र जारी करेगा।

(2) जहां कोई माल या दस्तावेज या पुस्तकें या वस्तुएं धारा 67 की उपधारा (2) के अधीन अभिग्रहण किए जाने योग्य हैं वहां उचित अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी **प्ररूप जीएसटी आईएनएसए–02** में अभिग्रहण का आदेश करेगा।

(3) उचित अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी माल के ऐसे स्वामी या अभिरक्षक को, जिसकी अभिरक्षा से ऐसे माल या वस्तुओं का अभिग्रहण किया गया हैं, माल की सुरक्षित देखरेख करने के लिए ऐसे माल या वस्तुओं की अभिरक्षा सौंप सकेगा और उक्त व्यक्ति, ऐसे अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय ऐसे माल या वस्तुओं या उसके किसी भाग को न तो हटाएगा और न ही अन्यथा उसके संबंध में कोई कार्यवाही करेगा।

(4) जहां ऐसे किसी माल को अभिग्रहित करना व्यवहार्य नहीं है वहां उचित अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी, माल के स्वामी या अभिरक्षक पर **प्ररूप जीएसटी आईएनएस–03** में ऐसे प्रतिषेध आदेश की तामील कर सकेगा कि वह ऐसे अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय माल या उसके किसी भाग को न तो हटाएगा और न ही अन्यथा उसके संबंध में कोई उस पर कोई कार्रवाई करेगा।

(5) माल, दस्तावेजों, पुस्तकों या वस्तुओं का अभिग्रहण करने वाला अधिकारी, ऐसे माल या दस्तावेजों या पुस्तकों या वस्तुओं का विवरण, परिमाण या इकाई, बनावट, चिन्ह या माडल, जहां कहीं लागू हो, के साथ–साथ उनकी एक सूची तैयार करेगा और उस पर ऐसे व्यक्ति के हस्ताक्षर लेगा जिससे ऐसा माल या दस्तावेज या पुस्तकों या वस्तुओं का अभिग्रहण किया गया है।

---

1 अधिसूचना क्रमांक 15/2017–केन्द्रीय कर, दिनांक 01.07.2017 द्वारा द्वारा अध्याय 17 से 19 सहपठित नियम 139 से 162 अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2017)।